सेवा में,

माननीय न्यायालय
ए0सी0जे0एम0, अयोध्या प्रकरण
जनपद लखनऊ

विषय:-मु0अ0सं0 547/07 धारा 115,120बी,121,121ए, 122, 124ए, 307, भादवि व 16/18/20/23 विधि बिरूद्व किया कलाप निवारण अधि0 व 3/4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना वजीरंगंज लखनऊ में गिरफ्तार अभियुक्त आफताब आलम अन्सारी उर्फ मुख्तार उर्फ राजू पुत्र स्व0अब्दुल अजीज निवासी गोला बाजार नया मोहल्ला मास्टर कालोनी थाना गोला बाजार जिला गोरखपुर हाल पता 95/1/2/एच /3 काशीपुर रोड थाना काशीपुर कलकत्ता दो को धारा 169 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत रिहा करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि आफताब आलम अंसारी उर्फ मुख्तार उर्फ राजू नाम पता उपरोक्त मु0अ0सं0 547/07 थाना वजीरगंज धारा उपरोक्त में कलकत्ता से गिरफ्तार करके लाया गया था,जिसे न्यायिक हिरासत में दिनांक 2-1-2008 को जेल लखनऊ भेजा गया तथा अभियुक्त आफताब आलम अंसारी उपरोक्त को पुलिस कस्टडी रिमान्ड हेतु माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गयी । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8-1-2008 से दिनांक 14-1-2008 की सुबह तक पुलिस कस्टडी रिमान्ड में दिया गया है।

आफताब आलम अंसारी उपरोक्त से पूछतॉछ व अन्य विवेचना से उक्त आफताब आलम अंसारी के बिरूद्व अभी तक कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है जिससे कि न्यायिक हिरासत में रखा जा सके।

अतः प्रार्थना है कि आफताब आलम अन्सारी उर्फ मुख्तार उर्फ राजू पुत्र स्व0अब्दुल अजीज निवासी गोला बाजार नया मोहल्ला मास्टर कालोनी थाना गोला बाजार जिला गोरखपुर हाल पता 95/1/2/एच /3 काशीपुर रोड थाना काशीपुर कलकत्ता को मु0अ0सं0 547/07 धारा 115,120बी,121,121ए, 122, 124ए, 307, भादवि व 16/18/20/23 विधि बिरूद्व किया कलाप निवारण अधि0 व 3/4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना वजीरंगंज लखनऊ को धारा 169 द0प्र0सं0 में रिहा करने की कृपा करें।

दिनांक- जनवरी 14 2008

(राज नारायण शुक्ल)
पुलिस उपाधीक्षक, अपराध
जनपद लखनऊ
(विवेचक),

न्यायालय: विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजि0सी·बी·आई·(व·पू·) लख०

63

16·01·08

आदेश

विवेचक श्री राज नारायण शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक अपराध, लख० की तरफ से आरोपी आफताब आलम अंसारी उर्फ मुख्तार उर्फ राजू, अंतर्गत अ0सं0-547/07, धारा-115/120बी/121/121ए/122/124ए/307 भा0द0सं0 व 16/18/20/23 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व 3/4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना वजीरगंज, लखनऊ के सम्बन्ध में दाखिल रिपोर्ट अं0धारा-169 द·प्र·सं· पर विवेचक एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना।

विवेचक की तरफ से अपनी केस डायरी में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि आफताब आलम अंसारी की माँ ने उसका पहचान पत्र दिया है उसमें उसका नाम राजू उर्फ मुख्तार अंकित नहीं है। इस प्रकरण में निरुद्ध अन्य अभियुक्तगण खालिद, सज्जाद एवं मोहम्मद अख्तर से पूछताछ में विवेचक के अनुसार अभियुक्तों ने बताया है कि अभियुक्त आफताब आलम अंसारी उर्फ मुख्तार उर्फ राजू नहीं है। विवेचक ने केस डायरी में यह भी उल्लेख किया है कि विभिन्न सूत्रों से पता चला है कि आफताब आलम अंसारी, ~~उर्फ~~ मुख्तार उर्फ राजू ~~का~~ नहीं है और न ही वह गलत विधियों में संलिप्त है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि आफताब आलम अंसारी को ~~उर्फ~~ मुख्तार उर्फ राजू के नाम पर ~~किसी अन्य व्यक्ति को~~ गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार गिरफ्तार में पहचान सम्बन्धी भूल की गयी है क्योंकि विवेचक ने निरुद्ध आरोपी आफताब आलम अंसारी ~~उर्फ मुख्तार उर्फ राजू~~ के विरुद्ध कोई साक्ष्य पाया उपलब्ध नहीं है, इसीलिये वह न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किये जाने योग्य है। अत: तद्नुसार विवेचक की आख्या अं0धारा-169 द·प्र·सं· स्वीकार की जाती है व आफताब आलम अंसारी ~~उर्फ मुख्तार उर्फ राजू~~ को मु0 10,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है। रिहाई परवाना जेल भेजा जाय।

16/1/08

(आर·पी· त्रिपाठी)
विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट